न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 01/2004 **(76 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. ताराचन्द पुत्र श्री रामदत्त शर्मा जाति ब्राह0 निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
2. कल्याण सहाय पुत्र रामसहाय महन्त जाति ब्राह0 निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर – मृतक
   2/1. शरदचन्द शर्मा पुत्र स्व0 कल्याण सहाय,
   2/2. महेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 कल्याण सहाय,
   2/3. ज्योति स्वरूप शर्मा पुत्र स्व0 कल्याण सहाय,
   2/4. राहुल शर्मा पुत्र स्व0 कल्याण सहाय,
   2/5. अनुराग शर्मा पुत्र स्व0 कल्याण सहाय,
   2/6. श्रीमती गीता देवी बेवा स्व0 कल्याण सहाय,
   2/7. रामादेवी पुत्री स्व0 कल्याण सहाय,
   2/8. श्यामा देवी पुत्री स्व0 कल्याण सहाय जाति ब्राह्मण निवासीयान ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... अपीलांट्स

बनाम

1. विमला देवी स्त्री रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... असल रेस्पोडेन्ट

2. रामबाबू पुत्र रामदत्त शर्मा जाति ब्राह0 निवासी ग्राम राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।
3. रामावतार पुत्र रामदत्त शर्मा जाति ब्राह0 निवासी राजपुर बड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर ।

.... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–

1. श्री संजीव जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 23.03.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय दि0 15.10.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी विमला देवी धर्मपत्नि रामलाल ब्राह0 निवासी राजपुर बड़ा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी ख0 नं0 साबिक 440 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम राजपुर बड़ा तहसील में है जिसके हाल सैटलमेन्ट में नये नम्बर 696 कायम हुए है । सैटलमेन्ट सम्वत् 2046 से पूर्व उक्त खसरा नम्बर का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा था किन्तु सैटलमेन्ट सम्वत् 2046 में नया नम्बर कायम होते समय नया नम्बर 696 कायम कर दिया और इसका रकबा 24 ऐयर ही कायम किया गया है जबकि इसका रकबा 27.5 ऐयर दर्ज होना चाहिए । नये नम्बर 696 में रकबा 24 ऐयर दर्ज होने से प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में से 3.5 ऐयर आराजी कम हो गयी है जिससे प्रार्थी को नुकसान हो रहा है जिसका संशोधन किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ख0 नं0 हाल 696 का रकबा 24 ऐयर के स्थान पर 27 ऐयर कायम किये जाने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 15.10.2003 को आदेश पारित कर दिये जिस आदेश दिनांक 15.10.2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक की बहस से पूर्व रेस्पो0 के अभिभाषक ने कानूनी बिन्दू उठाया है कि एल.आर.एक्ट की धारा 136 में पारित आदेश की अपील टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानों में यहां नहीं हो सकती है । अतः पहले कानूनी बिन्दू तय किया जाना आवश्यक है । अपीलांट अभिभाषक ने इस बिन्दू पर बहस करने का अवसर चाहा ।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी । अपीलांट अभिभाषक ने लिखित बहस व मौखिक बहस में कथन किया है कि तहत न्यायालय के आदेश का अवलोकन कराया । सबसे पहले यह कहना है कि यह प्रकरण टिनेन्सी एक्ट से संबंधित है । इस आराजी बाबत मुकदमे चल रहे थे । दि0 15.10.2003 को आदेश हुए हैं । जैसे हमें पता चला हमने अपील पेश कर दी है । तहत न्यायालय ने हमें कोई नोटिस जारी नहीं किये हैं तथा हमारी कोई तामील नहीं हुई है । अब इस स्तर पर यह कानूनी बिन्दु उठाया है कि यदि मैंने गलती की है तो न्यायालय को रेस्पो0 को भी देखना चाहिए । धारा 136 में केवल क्लेरिकल मिस्टेक आती है जिस तरह की दुरूस्ती की है वह 136 की नहीं है । रकबा व खातेदारी ही चैन्ज कर दी है । यदि न्यायालय चाहे तो मामले को अति0 सम्भागीय आयुक्त को स्थानान्तरित कर दे । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस में निवेदन किया कि असल रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट पेश कर रिलीफ मांगी गयी थी कि हाल ख0 नं0 696 वाके ग्राम राजपुर बड़ा का रकबा 0.24 ऐयर के स्थान पर 0.28 रेकार्ड माल में दर्ज किया जावें और ख0 नं0 697 का रकबा 0.48 ऐयर के स्थान पर 0.44 दर्ज किया जावें और

इसी प्रकार नक्शा ट्रेस में भी संशोधन किया जावें । पक्षकारान के बीच में तहत अदालत के निर्णय दि0 15.10.2003 के पहले से ख0 नं0 696 व 697 के मुकदमे चल रहे हैं जो राजस्व व सिविल न्यायालय में किये गये हैं । अपीलांट व तर0 रेस्पो0 तहत अदालत के निर्णय से प्रभावित है तथा उनको हकूकों पर बुरा असर पड़ता है । इसलिए पीड़ित पक्षकार है उनको कानूनन अपील दायर करने का हक है । अगर असल रेस्पो0 को बन्दोबस्त के रेकार्ड के खिलाफ कार्यवाही करनी है तो कानूनन नियमित वाद दायर करना होगा । तहत न्यायालय ने ना तो हमें नोटिस दिया और ना ही हमारी उपस्थिति में मौके की रिपोर्ट की गई । ख0 नं0 698 की मौके पर रकबा कायम होने की बाबत कोई पैमायश नहीं गई बल्कि कयास के आधार पर 0.24 के स्थान पर 0.28 ऐयर गलत दर्ज किया गया है । हल्का पटवारी द्धारा रिपोर्ट असल रेस्पो0 से साजबाज होकर अपने कार्यालय में बैठकर तैयार की गई है । आराजी ख0 नं0 696 में असल रेस्पो0 द्धारा गै0मु0 बाड़ा लगभग 6–7 सौ वर्गगज में बनाया हुआ है जिसका कहीं भी हवाला अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया है । तहत न्यायालय ने अपने आदेश में कहीं भी अंकन नहीं किया कि हाल ख0 नं0 696 में से किसी प्रकार के दौराने बन्दोबस्त 0.44 के स्थान पर 0.48 गलत दर्ज हो गया । उक्त उनवानी अपील विचाराधीन रहने के दौरान अपीलांट ताराचन्द ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के तहत दस्तावेज पेश किया जिन दस्तावेजों का कोई अवलोकन नहीं कर अवैद्य मनमाने तरीके से बिना किसी क्षेत्राधिकार के आदेश पारित किया है । उक्त उनवानी अपील विचाराधीन रहने के दौरान दीवानी वाद सं0 34/98/2003 उनवान बिमला देवी बनाम कल्याण सहायमें दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत की किन्तु इकतरफा में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना कर मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है । धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत सक्षम उप जिला अधिकारियों को बहुत ही लिमिटेड स्कोप है । केवल इस प्रकार धारा 136 की कार्यवाही में केवल लिपिकिय त्रुटि ही संशोधित की जा सकती है । राजस्व रेकार्ड में वर्णित रकबे व पृविष्ठियों व नक्शें में परिवर्तन करने का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष असल रेस्पो0 द्धारा प्रार्थना पत्र 136 प्रस्तुत करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को संबंधित व सक्षम पक्षकारों को हेतुक दर्शित नोटिस जारी करना चाहिए था । तत्पश्चात् उनके द्धारा जवाब व सुसंगत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त ही अपना आदेश पारित करना चाहिए था । पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद ही प्रकरण का निसतारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए था किन्तु उक्त प्रकरण में ऐसा ना कर भारी तथ्यात्मक तात्विक अनियमितता कारित की गयी है जिस कारण उक्त आदेश मंसुख किये जाने योग्य है ।

उन्होंने अपने समर्थन में 2007 आर.आर.डी. पेज 478, 1997 आर.आर.डी. पेज 504, 1983 आर.आर.डी. पेज 285, 2011 आर.बी.जे. पेज 66 एवं 212 आर.आर.टी. पेज 666 पेश की ।

जवाब बहस में रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट ने अपील 136 एल.आर. एक्ट के आदेश दिनांक 15.10.2003 के खिलाफ पेश की है । एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेशों के तहत एग्रीव्ड पर्सन माननीय सम्भागीय आयुक्त या अति0 सम्भागीय आयुक्त न्यायालय के यहां पेश होगी । अतः मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । तहत न्यायालय ने रिपोर्ट व सुनवाई की जाकर

नोटिस जारी किये कि क्या ये बिन्दु तय हो गया है और ये कहा है कि उक्त आदेश आर.टी. एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पारित किया है । अपीलांट ने लिखित बहस में जो नजीरें पेश की है उनमें भी अपील सम्भागीय आयुक्त या अत0 सम्भागीय आयुक्त के हुयी हैं । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश सही है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया ।

पत्रावली व निर्णय के अवलोकन तथा निर्णय के बिन्दुओं के अवलोकन से प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्धारा पारित एल.आर.एक्ट की धारा 136 में पारित होना पाया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का पारित निर्णय दिनांक 15.10.2003 एल.आर.एक्ट की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार पाया जाता है जिसकी प्रथम अपील एल.आर.एक्ट के प्रावधानों के अनुसार माननीय सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय में की जानी चाहिए ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलांट को सक्षम न्यायालय माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में अपील पेश करने का अवसर इस आशय के साथ प्रदान किया जाता है कि उनके द्धारा मियाद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में डिले कन्डोन करने की इस्तदुआ माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में की जावें ।

अपीलार्थी की अपील एल.आर.एक्ट में पेश होने वाली अपील का निस्तारण माननीय अपीलीय न्यायालय द्धारा गुणावगुण पर किया जावेगा ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ का आदेश दि0 15.10.2003 माननीय सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में अपीलेबल होने से संशोधन योग्य नहीं होना पाया जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/3/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर